**छत्तीसगढ़ शासन**
**खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर**

क्रमांक/4–9/2014/29–1/1 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30.03.2020

प्रति,

**समस्त कलेक्टर,**
**छत्तीसगढ़।**

विषय :– लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों व बेघरबार व्यक्तियों के भोजन हेतु चॉवल प्राप्ति के संबंध में।

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय का आदेश क्र. No.40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 29.03.2020

2. गृह सचिव, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 40-3/2020-DM-I(2), दिनांक 29.03.2020

3. छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ क्र.5 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020, नवा रायपुर, दिनांक 29.03.2020

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से कोरोना (CORONA-19) के संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाऊन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों हेतु राहत शिविरों का संचालन करने एवं अस्थायी आश्रय स्थल बनाकर उनके लिये भोजन, पानी इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त निर्देशानुसार आपके जिलो में संचालित राहत शिविरो/अस्थायी आश्रय स्थलों में निवासरत प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों के भोजन व्यवस्था हेतु चॉवल की आवश्यकता होने पर जिले के नागरिक आपूर्ति निगम से चॉवल इकोनॉमिक कॉस्ट पर प्राप्त किया जा सकता है। कृपया इस हेतु चॉवल की आवश्यक मात्रा का प्रस्ताव जिलों में स्थित जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में प्रेषित कर चॉवल प्राप्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार।**

30/3/20

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 4–9 / 2014 / 29–1 / 1 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 30.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. गृह सचिव, भारत सरकार,
2. श्रम सचिव, भारत सरकार,
3. समस्त भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
7. सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
9. प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर,
10. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
11. विशेष सहायक / निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
12. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
14. समस्त संभागायुक्त / पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़,
15. समस्त कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़,
16. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, अटल नगर, नवा रायपुर को अपने सभी जिला कार्यालय को निर्देशित करने हेतु।
17. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, अटल नगर, नवा रायपुर को सभी भंडार गृह प्रभारीयों को निर्देशित करने हेतु।
18. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।

सचिव 30/3/20

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

Scanned with CamScanner

AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi

DO No. 40-3/2020-DM-I(A)

Date : 29th March, 2020

Dear Chief Secretary,

Kindly refer to my DO letter of even no 24th March 2020 wherein an Order dated 24.03.2020 under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, 2005 alongwith lockdown measures to be taken by Ministries and Departments of Government of India, and State Governments/Union Territories, to contain the spread of COVID-19 in the country was issued. This was followed by two Addendum Orders dated 25.03.2020 and 27.03.2020 to the guidelines on lockdown measure.

2. The consolidated guidelines, by incorporating changes made through the two Addendums, on the lockdown measure to the Order dated 24.03.2020 is available at https://mha.gov.in/sites/default/files/PR_ConsolidatedGuidelinesofMHA_28032020.pdf.

3. I would further like to clarify that:

a. With the issue of 1st addendum, transportation of all goods, without distinction of essential and non-essential, have been allowed.
b. 'Pension' under exemptions to clause 2(g), include pension and provident fund services provided by Employees Provident Fund Organisation (EPFO).
c. Services of Indian Red Cross Society are also included under clause 3.
d. Groceries include hygiene products such as hand washes, soaps, disinfectants, body wash, shampoos, surface cleaners, detergents and tissue papers, toothpaste / oral care, sanitary pads and diapers, battery cells, chargers etc.
e. Entire supply chain of milk collection and distribution, including its packaging material is allowed.
f. News paper delivery supply chain is also allowed under print media.

4. I would also like to inform that the Central Government has also allowed use of SDRF for homeless people, including migrant labourers, stranded due to lockdown measures, and sheltered in the relief camps and other places for providing them food etc., for the containment of spread of Covid-19 virus in the country.

Contd./P-2

Scanned with CamScanner

5. MHA has issued another Order today under the DM Act 2005, for issuing directions to district authorities, for strict implementation of additional measures to stop the movement of migrants and providing them with quarantine facilities, shelters, food etc., and ensuring payment of wages and non-eviction by their landlords. Its strict implementation need to be ensured.

6. District authorities and field agencies may please be informed accordingly so as to avoid any ambiguity at the ground level.

With kind regards,

Yours sincerely,

29/03/2020

**(Ajay Kumar Bhalla)**

**To**

**Chief Secretaries of**
**all States**

Scanned with CamScanner

**No. 40-3/2020-DM-I(A)**
**Government of India**
**Ministry of Home Affairs**

North Block, New Delhi-110001
Dated 29th March, 2020

## ORDER

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act,the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, has issued an Order of even number dated 24.03.2020, followed by Addendum Orders of even number dated 25.03.2020 and 27.03.2020 to the Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities with the directions to implement lockdown measures annexed to the said Ordersfor the containment of spread of COVID-19 in the country;

Whereas, movement of a large number of migrants have taken place in some parts of the country so as to reach their home towns. This is a violation of the lockdown measures on maintaining social distance;

Whereas, to deal with the situation and for effective implementation of the lockdown measures, and to mitigate the economic hardship of the migrant workers,in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in the capacity as Chairperson, National Executive Committee hereby directs the State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities to take necessary action and to issue necessary orders to their District Magistrate/ Deputy Commissioner and Senior Superintendant of Police/ Superintendant of Police/ Deputy Commissioner of Police, to take following additional measures:

i. State/Union Territory Governments shall ensure adequate arrangements of temporary shelters, and provision of food etc. for the poor and needy people, including migrant labourers, stranded due to lockdown measures in their respective areas;
ii. The migrant people, who have moved out to reach their home states/ home towns, must be kept in the nearest shelter by the respective State/Union Territory Government quarantine facilities after proper screening for a minimum period of 14 days as per standard health protocol;
iii. All the employers, be it in the Industry or in the shops and commercial establishments, shall make payment of wages of their workers, at their work places, on the due date, without any deduction, for the period their establishments are under closure during the lockdown;

Scanned with CamScanner

iv. Where ever the workers, including the migrants, are living in rented accommodation, the landlords of those properties shall not demand payment of rent for a period of one month.

v. If any landlord is forcing labourers and students to vacate their premises, they will be liable for action under the Act.

It is further directed that in case of violation of any of the above measures, the respective State/UT Government, shall take necessary action under the Act. The District Magistrate/ Deputy Commissioner and Senior Superintendant of Police/ Superintendant of Police/ Deputy Commissioner of Police will be personally liable for implementation of the above directions and lockdown measures issued under the above mentioned Orders.

29/03/2020

Home Secretary

To

1. **The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India**
2. **The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories**

(As per list attached)

*Copy to*:

i. All members of the National Executive Committee.

ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner

अत्यावश्यक

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

एफ क. 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020 नया रायपुर दिनांक 29/03/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़।

विषयः– **COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु SDRF (राज्य आपदा मोचन निधि) से सहायता हेतु प्रावधान। राहत शिविरों पर होने वाले व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2019–20.**

संदर्भः– राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 29/03/2020.

----000----

विषयांतर्गत बेघर–बार व्यक्तियों तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित प्रवासी श्रमिकों हेतु अस्थायी राहत शिविरों के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/ **वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 विभिन्न मदों के अंतर्गत आबंटन उपलब्ध कराया गया है। जिन मदों में बजट उपलब्ध है या मांग संख्या 2245–02 बाढ़, चकवात आदि–111–14–011 अथवा 112–14–012 आदि मद के अंतर्गत जिले में आवश्यकता अनुसार रुपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख) की सीमा के अंतर्गत अस्थायी राहत शिविरों पर होने वाले व्यय की अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है।**

3/ उपरोक्त स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक ही प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से नाम से
तथा आदेशानुसार

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

पृ. एफ क. 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020 नवा रायपुर दिनांक 29/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन अनुभाग) "सी" विंग तीसरी मंजिल एन.डी.सी.सी.–2, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
6. संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
7. संभागीय आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर एवं सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

R. Shankar 29

राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner

अत्यावश्यक

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

एफ क. 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020 नवा रायपुर दिनांक 29/03/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़।

विषयः– **COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु SDRF (राज्य आपदा मोचन निधि) से सहायता हेतु प्रावधान।**

संदर्भः– भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन अनुभाग) नई दिल्ली का पत्र कमांक 33–04/2020–NDM-I दिनांक 28/03/2020 एवं सदस्य सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, रा.आ.प्र.प्रा. का मुख्य सचिव को संबोधित पत्र क.1–137/2018–MIT-I दिनांक 29/03/2020.

----000----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। पत्र के अनुसार COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु बेघर–बार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों हेतु अस्थायी राहत शिविर का संचालन किया जाना है। गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 32–7/2014–NDM-I दिनांक 08/04/2015 के Item number 3 (a)- अस्थायी आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएँ संबंधी प्रावधान COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के कारण प्रभावित बेघर–बार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों को जो विभिन्न स्थानों में अवरूद्ध हो गए हैं, के लिए प्रभावशील किया गया है।

2/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 यथा संशोधित दिनांक 09/06/2015 में राहत शिविरों के लिए मापदंड अनुसार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 रूपये भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अस्थायी राहत शिविरों के लिए की गई आवश्यक व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कलेक्टर अधिकृत हैं।

**3/ बेघर–बार व्यक्तियों से आशय यह है कि जिनका कोई स्थायी आश्रय गृह नहीं है। प्रवासी श्रमिकों से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो राज्य से बाहर काम की तलाश में गए थे, एक जिले से दूसरे जिले में काम की तलाश में गए थे तथा अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्ति जो लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों को लौट रहे थे तथा 25/03/2020 को अथवा उसके पश्चात् आवागमन के साधन नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में अवरूद्ध हो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए अस्थायी राहत शिविरों का संचालन लॉकडाउन अवधि में किया जाना है।**

4/ ऐसे व्यक्तियों के लिए अस्थायी राहत शिविरों हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, धर्मशालाओं, सामुदायिक भवनों का चयन किया जाए। अस्थायी राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भवनों की क्षमता के अनुसार विभिन्न अस्थायी राहत शिविरों में प्रभावित व्यक्तियों को रखा जाए।

R. Shan... →

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

गर्मी को देखते हुए पंखे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सोने के लिए दरी/चादर की व्यवस्था भी की जाए। अपरिहार्य स्थिति में पक्के भवन नहीं होने की स्थिति में टेंट लगाकर प्रसाधन सहित सभी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी अस्थायी राहत शिविरों में आवास, भोजन, शुद्ध पेयजल, निस्तारी हेतु जल, प्रसाधन, बिजली, पंखा की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

5/ ऐसे सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्यतः कराया जाए। यदि किसी व्यक्ति में COVID-19 के प्रारंभिक लक्षण हो तो उसकी जॉच जिला चिकित्सालय में कराई जाकर स्वास्थ्य विभागों के निर्देशों के अनुरूप आइसोलेशन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए। अस्थायी राहत शिविरों में प्रत्येक व्यक्ति के मध्य 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाये रखने के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन किया जाए।

6/ अस्थायी राहत शिविरों में वृद्धजनों, विधवा, परित्यकता, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जानी है।

7/ अस्थायी राहत शिविरों का संचालन दिनांक 14/04/2020 तक किया जाए। यदि अस्थाई राहत शिविरों के संचालन की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तब राज्य शासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

8/ वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न मदों के अंतर्गत आबंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त राशि का उपयोग किया जाये। आबंटन उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला कलेक्टर को रूपये 1 करोड़ आहरण करने के वित्तीय अधिकार प्रदत्त हैं तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

9/ वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत आपके जिले को आवश्यकतानुसार आबंटन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

10/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 यथा संशोधित 2015 में निहित प्रावधानानुसार राहत शिविरों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

11/ प्रत्येक अस्थायी राहत शिविर हेतु राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी राहत शिविर प्रभारी के रूप में लगाई जाए।

12/ आपके जिले में अस्थाई राहत शिविरों के संचालन हेतु आवश्यक राशि की जानकारी अविलंब विभाग को प्रेषित की जाए।

13/ अस्थायी राहत शिविरों के संबंध में संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी संधारित की जाए।

14/ आपके द्वारा संचालित राहत शिविरों, राहत शिविरों में रखे गए व्यक्तियों की संख्या तथा दिनांक 14/04/2020 तक उन पर होने वाले व्यय की जानकारी विभाग के ई-मेल आई डी cgrelief@gmail.com तथा फैक्स क्रमांक 0771-2510823 पर शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

R. Shandilya

(रीता शांडिल्य)
राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पृ. एफ क. 1–39/राजस्व/राहत/COVID-19/2020 नया रायपुर दिनांक 29/03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन अनुभाग) "सी" विंग तीसरी मंजिल एन.डी.सी.सी.–2, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
5. संभागीय आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर एवं सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

R. Shankl 29

राहत आयुक्त/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with CamScanner

प्रपत्र

## कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु संचालित अस्थायी राहत शिविरों की जानकारी

जिले का नाम.................................................

| स.क्र. | शिविर स्थल का नाम | शिविरों की संख्या | व्यक्तियों की संख्या शिविरवार | शिविरों पर होने वाले व्यय का विवरण | | | | | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भोजन व्यवस्था | पेयजल | वस्त्र आदि | स्वास्थ्य सुविधा | प्रसाधन (स्वच्छता) | अन्य आकस्मिक व्यय (बिजली, पंखे आदि) | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

टीप – कॉलम–4 में दर्शाये गये व्यक्तियों के संबंध में एक पृथक् रजिस्टर में व्यक्तिवार नाम, पता आदि जानकारी संधारित कर राजस्व अधिकारी से सत्यापित कर अभिलेख के लिए सुरक्षित रखी जाए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जी. वी. वी. शर्मा, भा.प्र.से.
सदस्य सचिव
G. V. V. Sarma, IAS
Member Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Home Affairs
National Disaster Management Authority

No. 1-137/2018-Mit.1 dated 29th March, 2020

To

Chief Secretaries of all States/ Administrators of UTs

Sub: Firm measures to combat Covid-19

Sir,

It is seen that despite efforts to ensure full compliance to the Government Orders vide No. 40-3/2020-DM-1(A) dated 24th March, 2020, some labourers/ pilgrims could not be retained where they were. Reports regarding movement of such persons across different States are being received. It is to be noted that significantly large number of persons in similar category have been successfully retained in different States, by combined efforts of risk communication, ensuring that the employer does not deduct or defer the pay or wages, ensuring that the landlord does not vacate or demand rent during this hour of distress etc. It is therefore cautioned that a few deviations should not be allowed to be a cause for dilution of the efforts of authorities who have ensured compliance in large cases. In view of this, it is reiterated that the people in these categories must be looked after, while maintaing physical distance of at least one metre from one another, in temporary shelters. They must be got medically examined and the persons requiring separate treatment must be dealt with as required.

2. In order to ensure that the basic objective of the national social distancing order is not defeated and in order to reduce risk of virus transmission, it is requested that the following measures must be taken in respect of those migrant labourers or pilgrims who have already arrived from other States to your State.

i. District Administration must use public address system and communicate with these persons regarding steps being taken by the administration for their welfare and regarding do's and don'ts to be followed. Visible police presence at all alighting points must be ensured.
ii. Medical officers must be deployed to conduct screening of the arriving persons at identified locations so that all are covered without fail.
iii. Those without any risk factors would be sent for quarantine, after explaining to them clearly and after noting their details including mobile phone numbers. Strict quarantine facilities of two weeks duration may be geared up accordingly at all the temporary shelters.
iv. In the identified locations, NDMA guidelines on temporary shelters may be followed by treating these persons as disaster-affected persons, by maintaining minimum physical distance of one metre between persons.
v. High risk persons will be dealt with as required as per their medical condition.
vi. A firm system of tracking the well being of all the migrant labourers or pilgrims who have arrived from other States must be put in place, while taking care to avoid stigma or ill-feeling.

3. No further migration be permitted and the existing orders be implemented strictly.

4. Action taken may be intimated.

Yours faithfully,

(G.V.V. Sarma)

एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029, India
दूरभाष/Tel : +91-11-26701701 फैक्स/Fax : +91 11 26701716 ई-मेल/E-mail : secretary@ndma.gov.in

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

No. 33-04/2020-NDM-I
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'C' Wing, 3rd Floor, NDCC-II,
Jai Singh Road, New Delhi,
Dated 28th March, 2020

To

The Chief Secretaries
(All States)

**Subject: Item and Norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) in the wake of COVID-19 Virus Outbreak.**

Sir/ Madam,

I am directed to refer this Ministry's letter No. 33-4/2020, dated 14th March 2020 on the above mentioned subject and to say that the existing norms issued vide this Ministry letter no 32-7/2014-NDM-I dated 08.04.2015, under item no 3(a) "***Relief Measures - Provision for temporary accommodation, food, clothing medical care etc.***" would be applicable to homeless people, including migrant labourers, stranded due to lockdown measures, and sheltered in the relief camps and other places for providing them food etc., for the containment of spread of Covid-19 virus in the country.

Yours faithfully,

28/03/2020
(Sanjeev Kumar Jindal)
Joint Secretary to Government of India
Tel: 23438096

Copy to AS(UT), MHA for making similar provisions for utilization of UT Disaster Response Funds by the Union Territories.

CC for information: PS to HM/MOS(N)/HS/ Secretary (Expenditure).

CS Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner